

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 121/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
हरीराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रामपुरिया भाटियान, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. गोर्धनराम पुत्र पुरखाराम 2. छोगाराम पुत्र पुरखाराम के कायम मुकाम 2/1 मोटाराम पुत्र छोगाराम 2/2 रामदयाल पुत्र छोगाराम 2/3 देवाराम पुत्र छोगाराम 2/4 श्रीमति छगुडी पत्नी छोगाराम जातियान जाट निवासी रामपुरिया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 2/5 श्रीमति मीरादेवी पुत्री छोगाराम पत्नी दिनेश, जाति जाट, निवासी जाखडों की ढाणी आकथली तहसील व जिला जोधपुर 2/6. श्रीमति संतोषदेवी पुत्री छोगाराम पत्नी राजूराम जाति जाट निवासी जाखडों की ढाणी आकथली तहसील व जिला जोधपुर 3. माधवराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 4. यूको बैंक शाखा भावी तहसील बिलाड़ा 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा



दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट
बाबत बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:- वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी संख्या-1 व 3 स्वयं उपस्थित।

प्रतिवादी सं. 2/1 से 2/4, 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

प्रतिवादी सं. 2/5 से 2/6की ओरसे श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवो.।

प्रतिवादी संख्या-5 सरकारी परोकार

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय

दिनांक :- 23/07/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 104/2 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा (4.1825 हैक्टर) आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 117/517 वां हिस्सा वादी का तथा 100/517 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 100/517 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 200/517 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा वादी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है। इस कारण वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से 3को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 3 इसके लिए तैयार नहीं हुए तो वादी अपने 117/517 हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड रहा है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नहीं करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 से 3 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड रहा है।

अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 104/2 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया जाकर वादी के 117/517 वां हिस्से की भूमि का अलग से खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट एंव हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी वकील द्वारा दिनांक 03.08.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी का प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर संशोधित वाद शीर्षक पत्रावली मे शामिल किया गया। वादी का दावा दिनांक 18.07.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 104/2 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा (यानि 4.1825 हैक्टर) का राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया जाकर वादी के 117/517 वां हिस्सा की भूमि का

सहायक क्लर्क एवं उप क्लर्क अधिकारी
बिलाडा



बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	कुमाराम पुत्र हरिराम 1/2 रामलाल पुत्र हरिराम 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	104/2	0.9468
2	माधवराम पुत्र किशनाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	104/2	1.6179
3	गोरधनराम पुत्र पुरखाराम 1/2 हि., छोगाराम के कायम मुकाम-(छगुदेवी पत्नी छोगाराम 1/12 हि., देवाराम पुत्र छोगाराम 1/12 हि., मीरा पुत्री छोगाराम 1/12 हि., रामदयाल पुत्र छोगाराम 1/12 हि., संतोष पुत्री छोगाराम 1/12 हि., मोटाराम पुत्र छोगाराम 1/12 हि.) जाति जाट सा.देह खातेदार	104/2	1.6178

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाडा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाडा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



MD
(मदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 23/01/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



MD
(मदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

हरीराम पुत्र किशनाराम
जाति जाट
निवासी रामपुरिया भाटियान,
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

1. गोरधनराम पुत्र पुरखाराम
2. छोगाराम पुत्र पुरखाराम
के कायम मुकाम
- 2/1 मोटाराम पुत्र छोगाराम
- 2/2 रामदयाल पुत्र छोगाराम
- 2/3 देवाराम पुत्र छोगाराम
- 2/4 श्रीमति छगुडी पत्नी छोगाराम
जातियान जाट निवासी रामपुरिया
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
- 2/5 श्रीमति मीरादेवी पुत्री छोगाराम पत्नी
दिनेश, जाति जाट, निवासी
जाखडों की ढाणी आकथली तहसील
व जिला जोधपुर
- 2/6 श्रीमति संतोषदेवी पुत्री छोगाराम
पत्नी राजूराम जाति जाट निवासी
जाखडों की ढाणी आकथली
तहसील व जिला जोधपुर
3. माधवराम पुत्र किशनाराम जाति जाट
निवासी रामपुरिया भाटियान
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. यूको बैंक शाखा भावी
तहसील बिलाड़ा
5. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा



दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 121/2019

निर्णय

दिनांक :- 28/1/20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 3 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सं0 2/1 से 2/4, 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 2/5 से 2/6 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट तथा प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 104/2

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा (यानि 4.1825 हेक्टर) के सम्बंध में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव

दिनांक 20.05.2024 के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे।



WCL
(मुदला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -
खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -
की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को
जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



WCL
(मुदला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा